सीआइटीयू कार्य समिति की बैठकः

श्रमिक वर्ग की एकता को मजबूत बनाओ जन साधारण को संघर्षों में लाओ

☐ हेमलता

सीआइटीयू कार्य समिति की बैठक ने श्रमिक वर्ग का आह्वान किया कि वह देश की श्रमजीवी जनता के कामकाजी एवं जीवन स्थितियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ अपने संघर्षो में तेजी लाए। कार्य समिति की ओर से पारित रिपोर्ट में विचार व्यक्त किया गया "वर्तमान राजनीतिक स्थिति की वास्तविकता यह है कि साम्प्रदायिक एवं विभाजक शक्तियों को देश की सत्ता से बाहर किया जा चुका है; किन्तु इन शक्तियों ने अपनी गिद्ध दृष्टि अभी तक सत्ता की कुर्सी पर गाड़ रखी है; वे जल्द से जल्द फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिये व्यग्र हो रही हैं। वे इसके लिये मौका ढूंढ रही हैं। श्रमिक वर्ग की हार्दिक इच्छा है कि यूपीए सरकार इन शक्तियों की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिये समुचित कार्रवाईयां करे। किन्तु श्रमिक वर्ग तथा श्रमिक आंदोलन सरकार की उन कार्रवाईयों को मूक दर्शक बन कर देखता नहीं रहेगा जो जनादेश को नकारने वाली हैं और जिसके चलते उनमें गहरा असंतोष पाया जाने लगा है। इन परिस्थितियों में यूपीए सरकार की जन विरोधी तथा श्रमिक वर्ग विरोधी कार्रवाईयों के खिलाफ अधिक से अधिक मजबूती के साथ श्रमिक वर्ग के संयुक्त एवं लगातार चलने वाले संघर्ष छेड़े जाने चाहियें; इस सरकार की कार्रवाईयों में आर्थिक उदारीकरण की प्रतिगामी नीतियों का स्वर गूंज रहा है।"

सीआइटीयू कार्य समिति की बैठक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के रबिन्द्र भवन में 3–5 दिसम्बर, 2004 को सम्पन्न हुई। सीआइटीयू की किसी अखिल भारतीय सभा का आयोजन देश की प्रमुख भूमि से दूर एक उत्तर पूर्वी राज्य में किया गया था; पहली बार ऐसा हुआ है। वह भी एक ऐसे राज्य में जिसकी केन्द्र में उत्तरोतर बनने वाली सरकारों की ओर से अनदेखी की जाती रही हो। बैठक में कार्य समिति के लगभग 100 सदस्यों ने भाग लिया; ये सदस्य देश भर से आए थे। बैठक ने श्रमिक वर्ग के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों पर विचार किया। उन्होंने जुलाई 2004 में नासिक में आयोजित सीआइटीयू जनरल कौंसिल बैठक के फैसलों के कार्यान्वयन पर विचार किया तथा इसके साथ ही अपने लिये भावी कार्यो एवं गतिविधियों का निर्धारण भी किया।

सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे की ओर से लाल झण्डा फहराए जाने के बाद 3 दिसम्बर को सुबह 10.00 बजे कार्य समिति की बैठक शुरू हुई। श्रमिक वर्ग के संघर्षो में अपने प्राण न्योछावर कर देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात् उद्घाटन सत्र शुरू हुआ। स्वागत समिति के अध्यक्ष कामरेड खगेन दास संसद सदस्य ने सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने सदस्यों को बताया कि त्रिपुरा में गैस, रबड़ चाय, अनानास जैसे विशाल प्राकृतिक संसाधन है; राज्य के विकास की असीम सम्भावनाएं हैं; किन्तु आंतरिक ढांचे का अभाव होने के कारण इसका लाभ नहीं उठाया जा रहा क्योंकि भारत सरकार की ओर से सदा इस राज्य की अनदेखी की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में विद्रोही कार्रवाईयों की असल जड़ बेरोजगारी तथा गरीबी है; राष्ट्र विरोधी तत्वों की ओर से इसी का अनुचित लाभ उठाया जाता है। वाम मोर्चा सरकार पिछले इक्कीस वर्षो से सत्ता में है; वह दो बार सत्ता में आ चुका है। वाम मोर्चा जनता की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिये अनथक कोशिशें कर रहा है और वह राज्य की जन जातीय एवं गैर जन जातीय जनता की एकता को बनाए रखने में सफल रहां है। सामाजिक संकेतकों से पता चल जाता है कि वाम मोर्चा के शासन काल की इस अवधि में जन साधारण की स्थिति में सार्थक सुधार हुए हैं जैसे साक्षरता का बढ़ना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होना इत्यादि।

एम के पन्धे ने अध्यक्षीय भाषण दिया। उन्होंने मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विस्तार में प्रकाश डाला। उन्होंने जार्ज डब्ल्यू बुश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अमरीकी साम्राज्यवाद की बढ़ती आक्रमकता का उल्लेख किया। पन्धे ने रेखांकित किया कि विश्व अर्थव्यवस्था में हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं, वे पूंजीवाद की स्थिति में आंशिक सुधार होने का संकेत देती हैं किन्तु विकसित देशों की अर्थव्यवस्था की प्रगति विश्व के औसत से कम हो रही है। चीन की अर्थव्यवस्था की प्रगति की शानदार दर ने समग्र रूप में विश्व अर्थव्यवस्था और उसके साथ–साथ विकसित देशों की प्रगति की उच्चतर दर में अपना योगदान दिया है। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि भूमण्डलीयकरण की सत्ता के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ने विश्व में कहीं भी विकासशील देशों की आगे बढ़ने में सहायता नहीं की है। विश्व बैंक की ओर से जारी किये आंकड़ों का वाचन करने से यह तथ्य उजागर हो जाता है। विश्व भर में गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जहां पच्चीस वर्ष पहले विश्व में 50 करोड़ लोग भूख से पीड़ित थे वहीं वर्तमान में उनकी संख्या बढ़ कर 80 करोड़

तक जा पहुंची है। विश्व में 32.50 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने के लिये पाठशालाओं में जाने के अवसरों से वंचित हैं। उनमें से अधिकांश को मजबूर होकर काम करना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी किये गए आंकड़ों के अनुसार विकासशील देशों में प्रतिदिन 33 हजार बच्चे उन बीमारियों का शिकार होकर मर जाते हैं जिनका इलाज हो सकता है। अधिक से अधिक लाभ कमाने के भूखे बहुराष्ट्रीय निगम जीवन दायिनी दवाओं के मूल्यों में इजाफा करते चले जा रहे हैं।

अंकटाड सम्मेलन के लिये फीदेल कास्त्रो की ओर से भेजे गए संदेश को उद्धृत करते हुए पन्धे ने अपने भाषण का समापन किया: 'वर्तमान में व्याप्त साम्राज्यवादी व्यवस्था और जिस दिशा में विकसित पूंजीवाद समाज आगे बढ़ रहा है और जो स्थिति इस समाज की ओर से पैदा की गई है वह आज उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां यह निर्दयी, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन व्यवस्था तथा इसकी नव उदार सत्ता बनी नहीं रह सकती। अनेक लोग इसके खिलाफ बगावत कर देंगे। वास्तव में, वे पहले से ही बगावत के रास्ते पर चल चुके हैं। इतिहास में पहली बार मनुष्य ने खुद अपने ही विनाश के लिये तकनीकी क्षमता का विकास कर लिया है। फिर भी, यह व्यवस्था समान आधार पर प्रत्येक देश की सुरक्षा तथा अखण्डता के लिये न्यूनतम गारंटी देने की स्थितियां पैदा करने में सक्षम नहीं हुई है। लोगों पर शासन का कोई अंकुश नहीं रह जाएगा; कोई उत्पीड़न, दमन, जान से खत्म कर देने अथवा सामूहिक हत्याओं जैसी कार्रवाईयां भी उन्हें रोक नहीं पाएंगी। केवल तीसरी दुनियां में भूख से मरने वाले लोग अपने तथा अपने बच्चों के अस्तित्व की रक्षा के लिये संघर्ष नहीं करेंगे बल्कि समृद्ध विश्व के जागरूक लोग भी इन संघर्षों में भाग लेने के लिये आगे आते रहेंगे।' सीआइटीयू के सचिव श्यामल चक्रवर्ती ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें जन जातीय एवं गैर जन जातीय लोगों की एकता को बनाए रखने और भारत सरकार की श्रमिक वर्ग विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिये त्रिपुरा की जनता को वधाई दी गई थी। प्रस्ताव में त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकार का अभिनंदन भी किया गया जो राज्य की जनता की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने के लिये सराहनीय काम कर रही है और वह भी उन परिस्थितियों में जब केन्द्र में बनने वाली उत्तरोतर सभी सरकारें उस पर भूमण्डलीयकरण की जन विरोधी नीतियों को लागू करने के लिये दबाव डालती रही हैं। उसने इन सभी दबावों का प्रतिरोध किया है। बैठक ने सर्वसम्मति से एक और प्रस्ताव पारित किया जिसे सीआइटीयू के उपाध्यक्ष ई बालानंदन ने पेश किया था और उसके सचिव हबीब की ओर से उसका अनुमोदन किया गया था। इस प्रस्ताव में मांग की गई थी कि विद्युत विधेयक 2003 की समीक्षा की जाए और उसके नुकसानदेह अनुच्छेदों को समाप्त किया जाए।

कामरेड चित्तब्रत मजुमदार ने महासचिव की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसमें यूपीए सरकार के अन्तर्गत देश की राष्ट्रीय स्थिति को रेखांकित किया गया था। उन्होंने बताया कि सांझा राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम जिसे यूपीए सरकार ने तैयार किया था, में 1991 से जारी आर्थिक नीतियों को प्रमुख निदर्शनात्मक (पैरडाइम) तत्व को बनाए रखा गया था किन्तु वाम शक्तियों के दबाव के चलते उसमें कुछ सकारात्मक जन पक्षीय; मजदूर पक्षीय तथा गरीब पक्षीय वादों का समावेश भी किया गया था। इसके साथ ही साथ सरकार पिछले दरवाजे से कोष–बैंक द्वारा निदेशित उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की नीतियों को लागू करने की कोशिशें भी कर रही है; इसके लिये वह बड़ी चालाकी के साथ सांझे राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम का उल्लेख करती रहती है। जहां जन पक्षीय वादों को पूरा करने के लिये कोई पहलकदमी नहीं की जा रही है वहीं सरकार राष्ट्रीय एवं बहुराष्ट्रीय निगमों को प्रसन्न करने के लिये उतावलेपन से काम ले रही है। सरकार की ओर से हाल ही में नागरिक उड्डयन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ा कर 49 प्रतिशत करने का फैसला किया गया; उसकी ओर से बार–बार यह कहा जा रहा है कि लाभ पर चलने वाले दिल्ली तथा मुम्बई के हवाई अड्डों का निजीकरण किया जाएगा; सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों का पुनरुद्धार करने के लिये योजना बनाने के प्रश्न पर उसका रुख गम्भीर नहीं है; मंत्री समूह की ओर से आइपीओ के माध्यम से लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक इकाईयों के शेयर बेच देने का फैसला किया गया; ये सभी नकारात्मक संकेत सरकार की नीतियों में देखने को मिल रहे हैं।

रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि केन्द्र की सत्ता में परिवर्तन होने के साथ चाहे जो बदलाव आया हो उसके फलस्वरूप सांझा न्यूनतम कार्यक्रम की ओर से श्रमिक वर्ग को आगे बढ़ कर अपने संघर्ष तेज करने का थोड़ा अवसर जरूर मिला है। श्रमिक वर्ग को स्तर्क रहना होगा; उसे चौकसी के साथ सरकार की नीतियों पर नजर रखनी होगी; सरकार कम से कम अपने उन मजदूर पक्षीय वादों को तो पूरा करे जो उसने सांझे न्यूनतम कार्यक्रम में किये हैं; इसके लिये उस पर दबाव डालने के उद्देश्य से श्रमिकों तथा समाज की दूसरी श्रेणियों को गोलबंद करना होगा। 'धामिक मूलवाद' तथा 'बाजार के पागलपन' के खिलाफ संघर्ष भी पूरी ताकत के साथ चलाया जाना चाहिये। श्रमिक आंदोलन को चाहिये कि वह खुद को लम्बे संघर्षों के लिये तैयार करे; क्योंकि सरकार संसद में वाम दलों के समर्थन पर निर्भर करती है और इसलिये तथा कथित 'आर्थिक सुधारों' की वकालत करने वाले लोग अपनी ललक छोड़ देंगे, श्रमिक आंदोलन को इस प्रकार की किसी भ्रांति में नहीं रहना चाहिये।

लगभग 29 सदस्यों ने महासचिव की रिपोर्ट पर बहस में भाग लिया। उसके पश्चात् रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित कर दी गई। सदस्यों ने रिपोर्ट का समर्थन करते हुए राज्यों में अपने अनुभवों की चर्चा करके उसे और समृद्ध बनाया। एक के बाद एक सदस्य ने बताया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिये संघर्ष करने वाले श्रमिकों का दमन किया जाता है;

उनका पुलिस उत्पीड़न होता है और पुलिस उनके संघर्षों में दखल देती है। विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, फरीदाबाद में न्यू एलेन बेरी फैक्टरी में, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग के श्रमिकों के संघर्षों के समय घटी घटनाएं इसकी कुछेक उदाहरणें हैं। जम्मू एवं कश्मीर के कसबा बनिहाल जहां ऊधम पुर – बारामूला रेलवे परियोजना का काम चल रहा है, में काम करने वाले निर्माण श्रमिक पिछले चार महीनों से हड़ताल पर हैं; ठेकेदार के कहने पर वहां सेना को तैनात कर दिया गया है ताकि श्रमिकों को आतंकित किया जा सके। अनेक राज्यों में ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत यूनियनों का पंजीकरण नहीं किया जाता। यूनियनों में शामिल होने वाले श्रमिकों तथा उनके नेताओं के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाईयां की जाती हैं। श्रमिकों को आठ घण्टे के कामकाजी दिवस, उपस्थिति रजिस्टर, नियुक्ति पत्र, न्यूनतम वेतन जैसे अपने बुनियादी अधिकारों और यूनियन बनाने के अपने अधिकार के लिये लम्बे संघर्ष करने पड़ रहे हैं।

कार्य समिति ने गहरी चिंता के साथ रेखांकित किया कि कामकाजी स्थलों में श्रमिकों का अनुबंधीकरण अथवा आकस्मीकरण बढ़ता चला जा रहा है; उसने विचार व्यक्त किया कि संविदा श्रमिकों को संगठित करने जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण काम की अनदेखी करना सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन के लिये आत्मघाती होगा। जो श्रमिक नियमित हैं उनके श्रमिक संघों को यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी और उन्हें आगे बढ़ कर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित करना होगा। संविदा श्रमिकों की मांगों को कामकाजी स्थलों और उसके साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर पूरी शक्ति के साथ उठाने के लिये उपयुक्त रणनीति बनाई जानी चाहिये; यह बहुत जरूरी है। संविदा श्रमिकों की मांगों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये अखिल भारतीय, राज्य तथा उद्योग स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन करने का फैसला किया गया। कार्य समिति ने आइटी एवं आइटीईएस का गहरा अध्ययन करने और इस क्षेत्र जिसने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया है, के श्रमिकों को संगठित करने के लिये उपयुक्त रणनीति तय करने का फैसला भी किया।

कार्य समिति ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये बनाए गए विधेयक के प्रारूप जिसे यूपीए सरकार ने तैयार किया है, की आलोचना की क्योंकि इस विधेयक में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये उन्हीं के अंशदानों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराए जाने की कल्पना की गई है जबकि उसके लिये केन्द्रीय सरकार का योगदान केवल सांकेतिक होगा। यह विधेयक राज्य सरकारों पर भारी वित्तीय बोझ डालने वाला है जिसके चलते यह संदेह उत्पन्न होता है कि यह विधेयक अपने मौजूदा स्वरूप में लागू हो भी सकेगा या नहीं। इसी प्रकार ग्रामीण रोजगार गारंटी सम्बन्धी जो विधेयक लाया जा रहा है उसमें भी अनेक विसंगतियां पाई जा रही हैं। सीआइटीयू कार्य समिति ने सीआइटीयू की इकाईयों को आह्वान किया है कि वे तृणमूल स्तर पर श्रमिकों के बीच जाकर अपनी पूरी ताकत के साथ इनके खिलाफ जोरदार अभियान चलाएं और एक देशव्यापी आंदोलन का निर्माण करें; इस अभियान के समय वे इन प्रश्नों पर सीआइटीयू की मांगों की ओर जन साधारण एवं श्रमजीवी जनता का ध्यान खीचें।

कार्य समिति ने कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की पिछली 18–19 नवम्बर को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशों का अनुमोदन किया जिनमें कामकाजी महिलाओं की मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाना और 8 मार्च, 2005 को सभी राज्यों के राज्यपालों को ज्ञापन भेंट करना, घरेलू उद्योग धंधों में काम करने वाले श्रमिकों, मछुआरों तथा मत्स्य पालन के धंधे में लगे श्रमिकों को संगठित करने के लिये पूरी तरह प्रयास करना, नर्सों के अखिल भारतीय आंदोलन को विकसित करना और पिछले 25 वर्षों में कामकाजी महिलाओं की श्रमिक आंदोलन में सहभागिता के मामले में उपलब्ध सभी आंकड़े एकत्रित करना। यह उल्लेख किया गया कि कन्वेंशन तथा रैली में महिलाओं की लामबंदी कामकाजी महिलाओं की राज्य स्तरीय कार्य प्रणाली को प्रतिबिम्बित कर रही थी और सीआइटीयू की राज्य समितियों को कामकाजी महिलाओं के बीच अपने काम की ओर समुचित ध्यान देना चाहिये।

सीआइटीयू कार्य समिति ने उल्लेख किया कि बढ़ती चली जा बेरोजगारी न केवल श्रमिक वर्ग के लिये गहरी चिंता का विषय है बल्कि दसियों लाख युवक प्रत्येक वर्ष श्रम बाजार में दाखिल होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भूमण्डलीयकरण की नीतियों के चलते हो रहे 'रोजगार विहीन' विकास के फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है और यह राजनीतिक घटनाक्रम का एक केन्द्रीय बिंदु बन चुका है। इस लिये इस प्रश्न को पूरी गम्भीरता के साथ उठाना तथा इस पर काम करना सीआइटीयू के लिये अनिवार्य हो गया है। यह फैसला किया गया कि मार्च–मई, 2005 में एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करके इस दिशा में प्रयास किये जाएंगे।

एक प्रस्ताव पारित करके मांग की गई कि विद्युत विधेयक 2003 की समीक्षा की जाए; उसके प्रतिगामी अनुच्छेदों को बदला जाए। कार्य समिति ने यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

संयुक्त संघर्षों के महत्व पर बल देते हुए कार्य समिति ने विचार व्यक्त किया कि जब तक श्रमिक वर्ग की एकता को मजबूत नहीं बनाया जाता तब तक श्रमिक वर्ग के अतिरिक्त श्रमजीवी जनता की विशाल श्रेणियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सीआइटीयू को मजबूत करने की कल्पना की गई; यह विचार व्यक्त किया गया कि स्वतंत्र गतिविधियों का प्रसार करके और संघर्षों का निर्माण करने के काम में बर्चस्वकारी भूमिका का निर्वहन किये जाने से श्रमिक वर्ग तथा श्रमिक संघों में संघर्षों के मामले में पाई जाने वाली हिचकिचाहट को दूर करने में सहायता मिल सकती है और इस पर वे समुचित दिशा में चल रहे संघर्षों में भाग लेने लगेंगे।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कामरेड माणिक सरकार ने 4 दिसम्बर की सायं बैठक स्थल में आ कर कार्य समिति के सदस्यों का अभिनंदन किया। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा में सीआइटीयू तथा श्रमिक वर्ग जहां आतंकवादी शक्तियों के हमलों का सामना करने के लिये अग्रिम पंक्तियों में खड़े होकर संघर्ष कर रहा है वहीं वह नव उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के खिलाफ और अपने जनवादी अधिकारों की रक्षा करने के लिये संयुक्त संघर्ष चला रहा है। माणिक सरकार ने कहा कि जनवादी आंदोलन को उसकी मौजूदा बुलंदियों तक पहुंचाने तथा उसे नया स्वरूप देने के काम में श्रमिक आंदोलन तथा विशेष तौर पर सीआइटीयू की भूमिका सदा निर्णायक रही है। राज्य की अनेक सांस्कृतिक मण्डलियों ने इन दिनों अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया; जन जातीय गीतों, संगीत एवं नृत्य के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कार्य समिति की बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को पहली बार राज्य की कठिन स्थितियों का ज्ञान हुआ और उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देख कर इन स्थितियों का अनुमान लगाया जिनमें रह कर सीआइटीयू तथा दूसरे जन संगठनों के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। सदस्य गण उनके कठोर परिश्रम को देख कर प्रभावित हुए बिना न रह सके और उन्हें नयी प्रेरणा मिली। बैठक के अंतिम दिन अस्तबल मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। शहर के विभिन्न भागों से लोगों के छोटे–छोटे झुण्ड रैली स्थल पर एकत्रित हुए; त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार, सीआइटीयू के अध्यक्ष एम के पन्धे, महासचिव चित्तब्रत मजुमंदार तथा सीआइटीयू की त्रिपुरा राज्य समिति के महासचिव पियुष नाग ने रैली में भाषण दिये।

सीआइटीयू कार्य समिति के फैसले:

1. श्रमिक वर्ग की मांगों को लेकर स्वतंत्र रूप से देश व्यापी अभियान चलाना और खेतिहर श्रमिकों के लिये सर्वसमावेशी कानून बनाने, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लाभ हेतु सामाजिक सुरक्षा योजना जिसके लिये सरकार की ओर से धन उपलब्ध कराया जाए, के साथ कानून बनाने, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों का पुनरुद्धार करने, विद्युत अधिनियम 2003 की समीक्षा तथा महिलाओं के लिये कल्याणकारी योजनाएं शुरू किये जाने जैसे मुद्दों जिन्हें सांझे राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम में शामिल किया गया है, की ओर विशेष तौर पर ध्यान केन्द्रित किया जाए।
2. एक जन अभियान चला कर आर्थिक नीतियों की दिशा बदलने की मांग की जाए; सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में सरकार की हिस्सेदारी को अनावश्यक तौर पर कम किये जाने जैसी कार्रवाईयों के खिलाफ प्रतिरोध विकसित किया जाए; हवाई अड्डों के निजीकरण और दूरसंचार, नागरिक उड्डयन, बीमा, बैंकों तथा अर्थव्यवस्था के दूसरे सामरिक क्षेत्रों में विदेशी हिस्सेदारी बढ़ाए जाने की कार्रवाईयों का विरोध किया जाए; लघु उद्योगों में उत्पादन के लिये वस्तुओं के आरक्षण को समाप्त किये जाने का विरोध करो; पेट्रोल, डीज़ल तथा रसोई गैस के मूल्यों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग के लिये अभियान चलाओ।
3. न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा के मामले में बुनियादी श्रम कानूनों पर अमल नहीं किया जाता; इनका उल्लंघन सम्बन्धित प्रशासन के संरक्षण में किया जाता है और ट्रेड यूनियन आंदोलन का दमन किया जाता है; एक जोरदार अभियान चला कर बुनियादी श्रम कानूनों को लागू किये जाने की मांग करो।
4. कर्मचारी भविष्य निधि तथा दूसरी बचतों की ब्याज दरों में कमी किये जाने और सरकारी सेवाओं में नये शामिल होने वाले लोगों के लिये नयी परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना और इसके साथ ही योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ पर त्रैमासिक कर लगाए जाने के खिलाफ संघर्ष चलाया जाए और एक संयुक्त ट्रेड यूनियन अभियान चलाया जाए।
5. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करने के काम पर अधिक ध्यान दिया जाए और राज्य एवं जिला स्तरों पर उप समितियों तथा समन्वय समितियों का गठन किया जाए।
6. कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को उठाया जाए और ट्रेड यूनियन स्तर पर संघर्षों का निर्माण किया जाए।
7. विभिन्न औद्योगिक महासंघों के उद्योगवार संघर्षों को प्रोत्साहित किया जाए और इन्हें विकसित करने के लिये पहलकदमियां की जाएं।
8. साम्प्रदायिकता तथा दूसरे विभाजक रुझानों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से अभियान चलाए जाएं और उन्हें सभी स्तरों पर श्रमिक संघों के रोजमर्रा के कामों के साथ जोड़ा जाए।
9. 'काम के अधिकार' को लेकर मार्च – मई 2005 में एक अखिल भारतीय कन्वेंशन के आयोजन के लिये तैयारियां की जाएं।
10. राज्यों में ट्रेड यूनियन स्कूलों का आयोजन किया जाए जिनमें सम्बद्ध यूनियनों की कार्य समितियों के सभी सदस्यों को शामिल किया जाए।
11. सीआइटीयू की सदस्य संख्या चालीस लाख करने का लक्ष्य पाने के लिये दोगुणा शक्ति के साथ प्रयास किये जाएं।
12. देश भर में प्रभावशाली लामबंदी के लिये श्रमिक संघों की प्रायोजन समितियों तथा राष्ट्रीय जन संगठन मंच को सक्रिय करने के लिये गम्भीर प्रयास किये जाएं।

□